शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / नियु. / 2012 / 972 भोपाल,दिनांक - 27-1-12

प्रति,

कलेक्टर

समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः— जिला शिक्षा केन्द्र अन्तर्गत सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक पद हेतु निर्धारित अर्हता में संशोधन संबंधी ।

सदर्भः— राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक / राशिके / नियु. / 2011 / 10019 भोपाल,दिनांक 8.11.2011

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जिला शिक्षा केन्द्र अन्तर्गत सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक,कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन, एईआर व बालिका शिक्षा) एवं विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अर्हता एवं प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये है। किन्तु अधिकांश जिलों में सहायक परियोजना समन्वयक, अकादमिक के पद हेतु अभ्यर्थियों के पास डाईट में अध्यापन का 05 वर्ष का अनुभव न होने के कारण सहायक परियोजना समन्वयक, अकादमिक के पद की पूर्ति नहीं हो सकी हैं।

अतः राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिंनाक 13.1.2012 में सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक पद हेतु निर्धारित अर्हता में डाईट में अध्यापन का 05 वर्ष अनुभव को शिथिल करते हुए निर्धारित अर्हता में उल्लेखित डाईट में अध्यापन का 05 वर्ष अनुभव वांछनीय अर्हता एवं यदि डाईट में 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव वाले अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो कम अवधि अनुभव वाले अभ्यर्थी का चयन किये जाने का निर्णय लिया गया है। शेष शर्ते पूर्वानुसार रहेगी।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठा.क्रमांक / राशिके / नियु. / 2012 / 973 भोपाल,दिनांक 27-1-12

प्रतिलिपि :—

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री,म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7 जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र,समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र